

Form No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
कार बनाम सुदलता - राम लाल पं टीकुराम नावरी 3L5M

स्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 61 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयंलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
01/2018	<p>पटवारी हल्का <u>15BL011</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>4L5M</u> के मुरब्बा नं. <u>243</u> के <u>0.684</u> बीघा, भूमि रकबा <u>417</u> राज है जिस पर श्री <u>सुदलता - राम लाल</u> पुत्र श्री <u>टीकुराम</u> जाति <u>नावरी</u> सा. <u>3L5M</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतू गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/2/2018</u> को पेश है।</p>	<p>नोटिस क्रमांक 81 <u>25/11/18</u> कुर्की आदेश क्रमांक 82 <u>25/11/18</u></p>
20-2-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

31518

पत्रवली उत्तर ही IHLI2BLMIA द्वारा
 निम्नोत्तर की गई सर्वाधिक बोलीदाता को एक
 बार उदाहरण शब्द पाठ क्र. 3247 की उभय
 रूपों की छवि उत्तर बोली स्वीकार की गई 24
 952 द्वारा निम्नोत्तर शब्द वरिष्ठ चालाक 59 कि
 31518 द्वारा शब्दकोष में उभय रूपों की गई छवि
 शामिल मिलने की वजह से प्रमाण दर्ज होने की
 वजह से पत्रवली द्वारा अनिर्णय को केवल के
 कठोर बहक उभय उत्तर कर दिया गया है एवं
 शब्द कुसुर कटली गई है पत्रवली के शेष कार्यों
 अपेक्षित नहीं है पत्रवली को लया प्रमाण शेष कार्य
 प्रकट हो

पत्रवली पृष्ठ सं. 05 क्र. सं. 01

दिनांक 15-5-18 राशि 300 दर्ज किया।

Ⓞ

पालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

ण सं० 61/18

वर्ष 2018

थान सरकार बनाम

तेकरण दिनांक सुल्तानराम-रामलाल 510 इकराम क्वरेशी 3LGM
25-1-18 निर्णय दिनांक 20-2-18

थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत


तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयलस जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
---------------	----------------------------------	---

-2-18


पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2004 र.क्र. में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 5B4A का प्रतिवेदन दिनांक 25-2-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सुल्तानराम को पुत्र इकराम जाति क्वरेशी निवासी 3LGM को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 4LGM मु.नं. 243/417 कुल 684 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 55- शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12B1A को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-2-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।


 तहसीलदार (राजस्व)
 श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 05 की क्रम सं.
 7 दिनांक 12-3-18 को 55
 दर्ज किया गया।


 ता 0 रा 0 ले 0